

Notes by Dr Ram Lochan Mishra

Associate Professor

Head of Commerce department

J K college Biraul Darbhanga

B. Com part-3. Hons paper- vii Taxation theory and practice

Lecture -3

कृषि आय के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

फल अथवा फूलों की खेती से आय

करदाता द्वारा उगाई गई जंगल अथवा वृक्षों की लकड़ी फल आदि की बिक्री से आय

कृषि कार्यों में संगठन फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारी के लिए कृषि आय माना जाएगा बशर्ते कि फनी को ऐसे ब्याज अथवा पारिश्रमिक की कटौती वह के रूप में मिलती हो

खड़ी फसल को ओलावृष्टि अथवा अन्य किसी कारण से हुई हानि के संबंध में बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति को कृषि आय माना जाएगा

जमीन से संबंधित गैर कृषि आय

निम्नलिखित आय कृषि आय जैसी प्रतीत होती है लेकिन यह एक ईसीआई नहीं होती क्योंकि इन में भूमि का उपयोग किसी कार्य के लिए नहीं होता अथवा आए भूमि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कमाई जाती है

हाट बाजार के काम में आने वाली भूमि से आय

भूमि पर अपने आप उगे हुए पेड़ पौधों वह जंगलों से होने वाली आय

मुर्गी पालन में पशु-पालन से आय

किसी कार्य में प्रयुक्त गोदाम का किराया

खानों में स्वामित्व के फल स्वरूप प्राप्त रॉयल्टी

कृषि फार्म के मैनेजर को प्राप्त वेतन अथवा कोई पारिश्रमिक

ईंट के भट्टों से प्राप्त होने वाली आए

शिक्षकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय

डेयरी फार्म से होने वाली आय

कृषि कार्यों में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश

समुंद्र का झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली आय

तालाब के सिंचाई से प्राप्त आय

**कृषि फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन कृषक को
फसल या अधिक उत्पादन करने पर प्राप्त इनाम**

**कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के संबंध में प्राप्त किराए की बकाया
रकम का ब्याज**

कृषि आय एवं कर दायित्व

आयकर अधिनियम की धारा 10 आई के अनुसार कृषि आय कृषि आय कर से मुक्त है कर निर्धारण वर्ष 1973 74 तक कृषि आय पूर्णतया करमुक्त थी अर्थात् नेहरू कृषि आय पर आयकर लगता था और 9 अन्य आय पर आयकर ज्ञात करने के लिए इसे कुल आय में सम्मिलित किया जाता था परंतु कर निर्धारण वर्ष 1974 75 से व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार करदाता का कर दायित्व ज्ञात करते समय किसी को ध्यान में रखा जाता है निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर कृषि आय को कुल आय में अलग से जोड़ कर सर्वप्रथम संयोजित सकल आय ज्ञात किया जाएगा और इसके बाद किसी और सीमांत दर से करके छूट घटाई जाएगी

यदि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार करदाता की कुल आय कृषि आय को छोड़ कर कर मुक्त सीमा से अधिक हो कर निर्धारण वर्ष 2014 15 के संबंध में सामान्य करदाता के संबंध में कर मुक्त सीमा ₹200000 है 7 वर्ष या अधिक परंतु 80 वर्ष से कम आयु वाले पुरुष एवं महिला निवासी व्यक्ति की दशा ढाई लाख रुपए एवं 80 वर्ष या अधिक आयु वाले निवासी व्यक्ति की दशा में ₹500000 हैं